भीम BHIM

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

ईमेल- higheredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141-5153222ए 5153223ए 5153660 (आई.पी.नं.24870)

क्रमांक प. 6(2)उच्च शिक्षा / ग्रुप–3 / 2023 जयपुर, दिनांकः– 03.03.2023

–: आदेश :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023–24 में की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या–278.0.0 व 278.1.0 की अनुपालना में निम्नलिखित 24 नवीन राजकीय महाविद्यालय (17 सहशिक्षा एवं 07 कन्या शिक्षा) खोले जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	जिला	महाविद्यालय का स्थान	सहशिक्षा / कन्या शिक्षा	क्र. सं.	जिला	महाविद्यालय का स्थान	सहशिक्षा / कन्या शिक्षा
1.	अजमेर	कादेड़ा(केकड़ी)	सहशिक्षा	13.	जयपुर	कानोता	सहशिक्षा
2.		बोराडा(किशनगढ़)	सहशिक्षा	14.		जालसू	सहशिक्षा
3.	अलवर	मुबारिकपुर (रामगढ़)	सहशिक्षा	15.	जोधपुर	आसोप (भोपालगढ़)	सहशिक्षा
4.		भिवाड़ी	कन्या शिक्षा	16.		देचू (लोहावट)	सहशिक्षा
5.		खेरलीगंज(कठूमर)	कन्या शिक्षा	17.	नागौर	लूणवा (नावां)	सहशिक्षा
6.	बीकानेर	गंगाशहर	सहशिक्षा	18.	पाली	देसूरी	सहशिक्षा
7.	चित्तौड़गढ़	घोसुंडा	सहशिक्षा	19.		देवली (रायपुर)	सहशिक्षा
8.	दौसा	बगड़ी (लालसोट)	सहशिक्षा	20.	सवाईमाधोपुर	वजीरपुर	सहशिक्षा
9.		गीजगढ़(सिकराय)	सहशिक्षा	21.		सुकार(बामनवास)	कन्या शिक्षा
10.		आभानेरी (बांदीकुई)	कन्या शिक्षा	22.	टोंक	नगरफोर्ट (देवली–उनियारा)	कन्या शिक्षा
11.		भांडारेज(सिकराय)	कन्या शिक्षा	23.	उदयपुर	सेमारी	सहशिक्षा
12.	श्रीगंगानगर	चूनवाड़ (सादुलशहर)	कन्या शिक्षा	24		नयागांव (खैरवाड़ा)	सहशिक्षा

(1) उक्त 24 नवीन महाविद्यालयों (कला संकाय, 02 वर्ग) में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग में निम्नानुसार 504 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र. सं.	पदनाम	प्रति महाविद्यालय पदों की संख्या	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	
			17 सहशिक्षा महाविद्यालय	07 कन्या शिक्षा महाविद्यालय
			15 सहशिक्षा महाविद्यालय– (बजट मद 2202–03–103–02–00) 02 सहशिक्षा महाविद्यालय– सेमारी, नयागांव (खैरवाड़ा),उदयपुर– (बजट मद 2202–03–796– 01–00)	(बजट मद 2202–03–103 –03–00)
1.	प्राचार्य	01	17	07
2.	सहायक आचार्य	07	119	49
3.	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	17	07
4.	शारीरिक शिक्षक	01	17	07
5.	सहायक लेखाधिकारी–I	01	17	07
6.	अति. प्रशासनिक अधिकारी	01	17	07
7.	सूचना सहायक	01	17	07
8.	वरिष्ठ सहायक	01	17	07
9.	कनिष्ठ सहायक	02	34	14
10.	प्रयोगशाला सहायक	01	17	07
11.	प्रयोगशाला वाहक	01	17	07
12.	बुक लिफ्टर	01	17	07
13.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02	34	14
	कुल योग	21	357	147

(i) उपर्युक्तानुसार प्रत्येक महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग में सृजित 21 नवीन पद राजसेस सोसाइटी के अधीन रहेंगे।

(ii) सोसाइटी के तहत कार्मिकों की उपलब्धता होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबंल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में / विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा। साथ ही प्रयोगशाला वाहक, बुक लिफ्टर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर नियमित / सोसाइटी के माध्यम से कार्मिक उपलब्ध नहीं होने तक इन पदों पर रेक्सको से / सेवानिवृत्त कार्मिक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृ.पृ.उ.

(2) वेतनादि एवं महाविद्यालयों के संचालन हेतु प्रस्तावित आवर्तक/अनावर्तक व्यय के संबंध में आयुक्तालय वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं फर्नीचर, उपकरण एवं कम्प्यूटर क्रय के संबंध में आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

(3) साथ ही उक्त नवीन महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए प्रति महाविद्यालय राशि रूपये 4.50 करोड़ के व्यय किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। आयुक्तालय भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 152300317 दिनांक 28.02.2023 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजमोहन नोगिया)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एच.डी.), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग।
9. शासन उप सचिव–II, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग।
10. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु उक्त स्वीकृति को AFS मॉड्यूल पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
13. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–प्रथम

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ20(101/07)/आयो/आकाशि/2023–24/1422 दिनांकः 03 मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एच.डी.), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1)विभाग,राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)विभाग,राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति)विभाग,राजस्थान जयपुर।
9. शासन उप सचिव–प्रथम, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग,राजस्थान जयपुर।
11. कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
12. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान/कार्यकारी निदेशक, रूडसिको/प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड।
13. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक, एच.आर.डी/संयुक्त निदेशक, प्रशासन, आकाशि, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नवीन राजकीय महाविद्यालयों में प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यो के सुचारू संचालन हेतु वित्त विभाग से प्राप्त सहमति की बिन्दु संख्या (ii) के अनुसार कार्मिकों की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।
15. संयुक्त निदेशक, अकादमिक, आकाशि, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि यथासमय उक्त नवीन राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।
16. सहायक निदेशक, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नवीन महाविद्यालयों हेतु नियुक्त संबंधित नोडल अधिकारी एवं जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए अस्थाई भवन एवं भूमि आवंटन की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करे।
17. नोडल अधिकारी, संबंधित नवीन राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नवीन महाविद्यालय के संचालन हेतु संबंधित सहायक निदेशक कार्यालय एवं जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए अस्थाई भवन एवं भूमि आंवटन करवाया जाना सुनिश्चित करे।
18. वेबसाइट प्रभारी, आयुंक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने बाबत।
19. रक्षित पत्रावली।

3/3/23
(डॉ. विमलेश सोमी)
संयुक्त निदेशक, आयोजना